एकल–पीठ
श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, सदस्य

उपस्थितः–

(1) श्री मुकेश जैन अभिभाषक प्रार्थीगण।
(2) श्री उमेश कुमार अभिभाषक, अप्रार्थीगण।

निर्णय **दिनांकः17–9–2019**

यह निगरानी अन्तर्गत धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर के वाद सं0 21/2002 बउनवानी चन्द्रवती बनाम बिरजा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18–06–2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी/अप्रार्थी सं0 1 ने एक राजस्व वाद बाबत इस्तकरारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा विचारण न्यायालय में इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादपत्र में वर्णित विवादित आराजी ग्राम कुम्हा तहसील कुम्हेर में स्थित है। दौराने वाद वादिया ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 (4) जा0दी0 प्रस्तुत किया जिसमें उपखण्ड अधिकारी, कुम्हैर ने अपने निर्णय दिनांक 18–6–2004 द्वारा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जिस निर्णय दिनांक 18–6–2004 से व्यथित होकर निगराकार ने यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

3– निगरानी पर उभयपक्षकारान के विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी।

4– निगराकार का बहस में तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि वादिया के वादपत्र एवं राजस्व रेकार्ड से साबित है कि वादग्रस्त भूमि स्व0 चरनसिंह सह कृषक काबिज रहा है। इसलिए धारा 211 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत वे आवश्यक पक्षकार थे जिसे वाद में बिना पक्षकार बनाये वाद पेश किया जो चलने योग्य नहीं है। वादिया का वाद व क्लेम सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध संयुक्त है एवं सभी सह काश्तकार को पक्षकार बनाये बिना दावे में कार्यवाही नहीं की जा सकती है एवं ऐसे पक्षकार के देहान्त पर उसके वारिसों को रेकार्ड पर लेना जरूरी है। इसके अभाव में वाद स्वतः ही अबैट हो जाता है। यदि वादी चरनसिंह के वारिसों को रेकार्ड पर नहीं लाना चाहती है तो समस्त दावा अबैट हो चुका है। जब एक

	निगरानी/टीए/2848/2004/ सौरम सिंह बनाम चन्द्रवती व अन्य	
	बार चरनसिंह के वारिसों की ओर से अधिवक्ता द्वारा अन्डर टेकिंग दी जा चुकी है तो उन्हें सुना जाना आवश्यक है, उनकी तलबी बन्द नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब व प्रार्थना पत्र एवं प्रस्तुत की गई कानूनी नजीरों का विवेचन नहीं कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित किया है। इसलिए विचारण न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं रेकार्ड के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार की जावें। 5- प्रतिउत्तर बहस में गैर निगराकार का कथन है कि वादग्रस्त आराजी वादिनी के पति हम्वीरसिंह की पुश्तैनी यानि उनके बाबा गोविन्दसिंह की आराजी थी। वादनी के ससुर की मृत्यु के बाद वादिनी के पति अपने पिता श्री विरजासिंह के साथ में पुश्तैनी जायदाद में कोपार्सनर होने की वजह से 1/3 हिस्से के काश्तकार हो गये। विचारण न्यायालय द्वारा सही निर्णय पारित किया गया है। इसलिए निगरानी खारिज की जावें। 6- निगराकार के विद्वान अभिभाषक की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अध्ययन व अवलोकन किया गया। 7- विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18-6-2004 में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र तारीख 2-4-2004 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 4 (4) सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है। चूंकि चरनसिंह के अभिभाषक द्वारा ही चरनसिंह के जीवित पुत्र की अन्डर टेकिंग दी है तथा चरनसिंह का जवाब दावा व साक्ष्य प्रस्तुत हो चुकी है। अतः चरनसिंह के वारिसान की तरफ से अंतिम बहस में हिस्सा लेने की अनुमति श्री चरनसिंह के अभिभाषक को दी जाती है। 8- निगरानीकर्ता का कथन है कि वादिया के वादपत्र एवं राजस्व रेकार्ड से साबित है कि विवादित भूमि में स्व0 चरणसिंह सहकृषक काबिज है। वादिया का दावा व क्लेम सभी प्रतिवादीगण के विरूद्ध है एवं सभी सह काश्तकार को पक्षकार बनाये बिना दावे में कार्यवाही नहीं की जा सकती है। ऐसे पक्षकार के देहान्त पर उसके वारिसों को रेकार्ड पर लेना जरूरी है। इसके अभाव में दावा स्वतः ही अबैट हो गया है। जब एक बार वादिया द्वारा पक्षकार बना लिया जाता है और अदालत द्वारा हाजिर होने बाबत नोटिस जारी कर दिया जाता है तो वारिसानों को हाजिर होना आवश्यक है। उनकी तलबी बन्द नहीं की जा सकती है। 9- पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि विवादित आराजी का 1/2 हिस्सा यानि 3-68 ऐयर बिरजासिंह (वादी) विक्रय कर चुका है जिसमें चरणसिंह का कोई हक नहीं है जिसे चरणसिंह ने अपने जवाब दावे में स्वीकार करते हुए	

विक्रयनामें से सहमति प्रकट की है। वादिया अपना हिस्सा बिरजासिंह से ही चाहते हैं, उसे चरणसिंह से कोई रिलीफ नहीं चाहिए। चरनसिंह के एकमात्र जीवित पुत्र पुत्र सुरेश की तरफ से दिनांक 23–2–2004 को प्रतिवादी के अभिभाषक द्वारा अण्डरटेकिंग दी गई लेकिन उसके बाद वे उपस्थित नहीं आये जो यह प्रकट करता है कि वे दावे को लम्बा करना चाहते हैं। चरनसिंह का जवाब दावा व साक्ष्य प्रस्तुत हो चुकी है। अतः विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्धारा चरनसिंह के अभिभाषक को चरनसिंह के वारिसान की ओर से अंतिम बहस में हिस्सा लेने की अनुमति प्रदान की गई है। अतः निगरानीकार की तलबी बन्द किये जाने का तथ्य वारिसों को रेकार्ड पर नहीं लिये जाने के कारण दावा अबेट होने का कथन विधिसम्मत नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है, वह उचित एवं विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं होने से निगरानी काबिज खारिज योग्य है।

10– अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप निगरानी खारिज की जाती है। विद्धान उपखण्ड अधिकारी, कुम्हेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18–6–2004 यथावत रखा जाता है।

11– पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

12– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र माहेश्वरी)
सदस्य